

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी ।

आदेश क्रमांक :-

S.O - 96/762-86

दिनांक:-

31-10-86

पै 21/10/86 8112-जी भा 060 भिवानी को

1.4.96 से ~~स्वयं~~ कक्षा से आठवीं कक्षा तक की स्थायी मान्यता निम्नलिखित शर्तों सहित प्रदान की जाती है ।

1. यह संस्था सरकार/विभाग से किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं करेगी । अपने ही साधनों से अध्यापकों/कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का भुगतान तथा संस्था को चलायेगी ।
2. अध्यापकों की नियुक्ति विभागीय नियम/हिदायतों अनुसार की जायेगी तथा आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जायेगा ।
3. संस्था द्वारा रेजुकेशन कोड की धारा 214 से 237 तथा नियम/उपनियम और सरकार/विभाग द्वारा जारी हिदायतों की हदता से पालना की जायेगी ।
4. संस्था द्वारा शेष राशि 31.12.96 तक प्लेज करनी होगी ऐसा न करने पर मान्यता समाप्त हो जायेगी ।
5. संस्था द्वारा दी गई सूचना किसी भी समय ठीक नहीं पाई तो मान्यता समाप्त की जा सकती है ।

(के.ए.ए.ए.ए.ए.)

जिला शिक्षा अधिकारी,
भिवानी ।

प0क0 सम

प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ ।
2. सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी राज्य में सभी ।
4. जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी राज्य में सभी ।
5. उप-डिप्टी शिक्षा अधिकारी, लोहार/दादरी व भिवानी ।
6. प्रबन्धक महासमिति
7. मुख्याध्यापक ✓

1/11/86
जिला शिक्षा अधिकारी,
भिवानी ।

31/10/86